केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in
Email: addl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 14633
F. 11072-7(odis)/2019/KVS(HQ)/Admn-I | 104-124 — दिनांक: 29.04.2025

## कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 27.12.2024 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिह्नित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थायी भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय **विद्यालय, पटनागढ़, जिला बोलांगीर, ओडिशा, (संसदीय क्षेत्र – बोलांगीर)** दिसम्बर 2024 में स्वीकृत 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्वीकार कर ली गई है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय तुरंत प्रभाव से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान दी जाती है :-

| क्र. सं. | केन्द्रीय विद्यालय का नाम | निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा |
|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय विद्यालय, पटनागढ, जिला बोलांगीर, ओडिशा | केन्द्रीय विद्यालय, पटनागढ़, जिला बोलांगीर, ओडिशा - 767025 |

उपर्युक्त केंद्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भूमि हस्तांतरण एवं अस्थायी भवन से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद से 30 दिवस के भीतर सम्पन्न कर ली जाये।

दीपेश

**(दीपेश गहलोत)**
**संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)**

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.स.।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि.स.।
3. वरिष्ठ पी. पी. एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन केविसं.।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार।
5. पी.एस.ओ., संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केविसं.।
6. निजी सचिव, आयुक्त, के.वि.स.
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली – 92
8. निजी सचिव अपर आयुक्त (प्रशा./शै०) केविसं।
9. उप सचिव (के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्/प्रशिक्षण/कार्मिक), के.वि.स. (मु.) को सूचनार्थ ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केविसं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें ।
12. अधीक्षण अभियंता, के.वि.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा अध्यक्ष वीएमसी, केवी पटनागढ़ को सूचनार्थ ।
14. उपायुक्त,के.वि.स. क्षे.का. भुबनेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर के.वि. संचालित करें ।
15. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.स., सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
16. उपायुक्त (आई.टी.) को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
17. सहायक आयुक्त (स्था. I/II/III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
18. सभी अधिकारी/अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) ।
19. अध्यक्ष/सचिव के.वि.स. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
20. गार्ड फाइल |